संख्या- 13/2021/251 /2021/18-2-2021-19(01)21

प्रेषक,

नवनीत सहगल,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. आयुक्त एवं निदेशक उद्योग,
   उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय उ0प्र0,
   कानपुर।
2. समस्त जिलाधिकारी,
   उत्तर प्रदेश।

सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2 लखनऊः दिनांकः 17 मई, 2021

विषयः- "उत्तर प्रदेश कोविड इमरजेंसी वित्त पोषण योजना" प्रख्यापित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि कोविड-19 महामारी की व्यापकता एवं इससे निपटने के लिए प्रदेश ही नहीं सम्पूर्ण भारत वर्ष में मेडिकल ऑक्सीजन एवं अन्य आवश्यक सहायक मेडिकल सामग्री यथा –PSA Based/LMO Based Medical Oxygen Plant, Oxygen Cylinders, Regulators, Ventillators, CryogenicTankers, Hospital Beds आदि की आवश्यकता में काफी वृद्धि हुई है। साथ ही, इन मेडिकल सामग्री की संबंधित को समयबद्ध रूप से आपूर्ति किया जाना भी अति आवश्यक है । अतः महामारी की व्यापकता को देखते हुए short term उद्देश्यों की पूर्ति हेतु प्रदेश में ही कोविड से संबंधित आवश्यक मेडिकल सामग्री (Covid Related Essential Medical Goods) के विनिर्माण की तत्काल आवश्यकता है । अतः उक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु "उत्तरप्रदेश कोविड इमरजेंसी वित्त पोषण योजना" प्रख्यापित करने का मुझे निदेश हुआ है, जिसके घटक निम्नवत् है :-

1. योजना वर्तमान में कार्यरत औद्योगिक इकाइयों एवं नवीन स्थापित होने वाली ऐसी औद्योगिक इकाईयों हेतु प्रभावी होगी, जो कोविड से सम्बन्धित आवश्यक मेडिकल सामग्री हेतु अधिसूचित (Covid Related Notified Essential Medical Goods) हेतु अपनी वर्तमान क्षमता में वृद्धि करने अथवा इस क्षेत्र में नवीन इकाई स्थापित करने हेतु इच्छुक हैं ।
2. योजना सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में प्रभावी होगी ।
3. यह योजना शासनादेश निर्गत होने की तिथि से 01 वर्ष तक प्रभाव में रहेगी ।
4. योजना कोविड से सम्बन्धित आवश्यकता मेडिकल सामग्री हेतु अधिसूचित (Covid Related Notified Essential Medical Goods) से सम्बंधित इकाईयों हेतु ही प्रभावी होगी।
5. पात्रता हेतु Plant, Machinery, Equipment में पूंजी निवेश की न्यूनतम सीमा रु० 20 लाख होगी ।

6. पात्र इकाई को विभिन्न विभागों से सम्बंधित इकाई स्थापना एवं संचालन में आवश्यक समस्त प्रकार की स्वीकृतियां/अनापत्तियाँ इत्यादि "उत्तर प्रदेश सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (स्थापना एवं संचालन सरलीकरण) अधिनियम – 2020 के अंतर्गत 72 घंटे की अवधि में प्रदान किये जा सकेंगे। प्रदूषण नियंत्रण विभाग, Petroleum and Explosives Safety Organisation (PESO), Drug Control Organization (Medical and Health Department) के केन्द्रीय अधिनियमों के अंतर्गत आच्छादित स्वीकृतियां/अनापत्तियाँ आदि प्रदान करवाने हेतु fast track mode में सहायता प्रदान की जायेगी ।

7. पात्र इकाईयों को योजनान्तर्गत निम्नवत लाभ प्रदान किया जायेगा :-

(1) इस निमित्त पात्र इकाई को Plant, Machinery, Equipment की स्थापनार्थ हुए व्यय का 25 %, अधिकतम धनराशि रु० 10 करोड़, जो भी कम हो, की वित्तीय सहायता पूंजी उपादान (capital subsidy) के रूप में प्रतिपूर्ति की जायेगी । यह प्रतिपूर्ति विभाग में उपलब्ध बजट के अन्तर्गत ही किया जायेगा। इसके लिए प्रथम आगत प्रथम पावत के सिद्धांत का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। साथ ही कोविड जनित परिस्थितियों के निपटने के लिये पर्याप्त संसाधन की उपलब्धता बनी रहे, इस हेतु प्रस्तावित योजनान्तर्गत राज्य् सरकार द्वारा विभिन्न सेक्टर्स में संचालित विभिन्न् प्रोत्साहन योजनाओं से डबटेलिंग की जायेगी।

(2) CGT-MSE योजना के अंतर्गत आच्छादन हेतु लाभार्थी इकाई द्वारा भुगतान की गयी फीस की प्रतिपूर्ति प्रदेश सरकार द्वारा योजनान्तर्गत वहन की जायेगी ।

(3) उक्त वित्तीय सहायता इकाई के कार्यरत (Operational) होने के उपरान्त इकाई द्वारा उपलब्ध कराये गए दावे के सापेक्ष प्रदान की जायेगी ।

8. योजनान्तर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु पात्र इकाई को निम्नवत आवेदन करना होगा :-

(1) योजनान्तर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदक इकाई द्वारा किसी Scheduled Commercial Bank अथवा SIDBI में आवेदन करना होगा ।

(2) Scheduled Commercial Bank अथवा SIDBI, जैसी भी स्थिति हो, द्वारा प्राप्त आवेदनों के परिक्षण के उपरान्त आवेदन पत्रों को अपने जनपदीय कार्यालय उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केंद्र को अग्रसारित किया जाएगा ।

(3) Scheduled commercial Bank अथवा SIDBI द्वारा जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केंद्र को अग्रसारित आवेदन पत्र में मुख्यत: निम्न सूचनाओं का उल्लेख करना अनिवार्य होगा :-

(1) इकाई द्वारा प्रस्तावित गतिविधि का वर्णन करते हुए प्रोजेक्ट रिपोर्ट ।

(2) योजना के अंतर्गत उद्देश्य पूर्ति हेतु इकाई द्वारा वांछित कुल ऋण धनराशि।

9. उपायुक्त उद्योग द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों के प्रारम्भिक परिक्षण के उपरान्त आवेदन पत्रों को जिलाधिकारी की अध्यक्षता में अनुमोदन हेतु गठित समिति (Approval Committee) के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केंद्र द्वारा अनुमोदन हेतु गठित समिति (Approval Committee) के सदस्य/सचिव के रूप में कार्य संपादित किया जाएगा । अनुमोदन हेतु गठित समिति (Approval

Committee) से संस्तुत आवेदन पत्र आयुक्त एवं निदेशक उद्योग, उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय, उत्तर प्रदेश को अग्रसारित किये जायेंगे तथा इस सम्बन्ध में बैंक/SIDBI द्वारा अप्रेजल रिपोर्ट को आधार मानकर परीक्षण किया जायेगा ।

10. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग की अध्यक्षता में शासन स्तर पर एक कार्यकारी समिति (Executive Committee) का गठन किया जाएगा । आयुक्त एवं निदेशक उद्योग उक्त समिति (committee) के सदस्य /सचिव होंगे जिनके द्वारा अन्तिम (Final Approval) हेतु आवेदनों को कार्यकारी समिति (Executive Committee) को अग्रसारित किया जाएगा । प्रस्तुत आवेदन पत्रों पर अन्तिम अनुमोदन (Final Approval) हेतु कार्यकारी समिति (Executive Committee) का निर्णय अंतिम होगा ।

11. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग योजना के क्रियान्वयन हेतु नोडल विभाग होगा।

12. इकाई द्वारा उपादान हेतु किये गए दावे सम्बंधित जनपद के जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केंद्र में प्रस्तुत किये जायेंगे। उपायुक्त उद्योग द्वारा प्रारम्भिक परीक्षण के उपरान्त दावे आयुक्त एवं निदेशक उद्योग, उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केंद्र, उत्तर प्रदेश को प्रेषित किये जायेंगे, जिनके द्वारा प्रतिपूर्ति हेतु शासन से पूर्व स्वीकृति प्राप्त करके प्रतिपूर्ति की जायेगी ।

13. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग द्वारा संभावित उद्यमियों के मध्य योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाएगा एवं यह सुनिश्चित किया जाएगा कि अधिक से अधिक संख्या में उद्यमी योजना के अंतर्गत बैंकों/SIDBI में आवेदन करें ।

14. प्रदेश के अस्पतालों में कोविड सम्बन्धी सुविधायें यथा - ऑक्सीजन प्लांट आदि स्थापित करने के इच्छुक उद्यमियों एवं अस्पतालों के मध्य समन्वय हेतु विभाग द्वारा प्रदेश एवं जनपद स्तर पर फैसिलीटेशन का कार्य किया जाएगा तथा यह प्रयास किया जायेगा कि अस्पतालों में 20वर्ष की आपूर्ति का अनुश्रवण नियमानुसार कराया जायेगा ।

15. स्वास्थ्य विभाग योजना के अंतर्गत कोविड से सम्बन्धित आवश्यक मेडिकल सामग्री हेतु अधिसूचित (Covid Related Essential Medical Goods) को समय-समय पर अधिसूचित (Notify) करेगा ।

16. यदि इकाई द्वारा इस योजना के अंतर्गत अनुमन्य मदों में राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की किसी अन्य योजनान्तर्गत लाभ प्राप्त किया गया है, तो इकाई इसी मद में इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु पात्र नहीं होगी। ऐसे लाभ जो इस योजना के अंतर्गत आच्छादित नहीं हैं, उन लाभों/सुविधाओं हेतु इकाई प्रदेश सरकार अथवा भारत सरकार की अन्य योजनाओं /नीतियों के अंतर्गत आवेदन कर सकती है ।

17. योजना के सफल क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु राज्य स्तर पर प्राधिकार समिति (Empowered Committee) गठित होगी, जो आवश्यकतानुसार समय-समय पर योजना में संशोधन करने हेतु अधिकृत होगी।

अत: अनुरोध है कि कृपया उपरोक्तानुसार यथावश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(नवनीत सहगल)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या- /2021/18-2-2021-19(01)21, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-:

1- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।
2- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3- समस्त संयुक्त आयुक्त उदयोग, जिला उदयोग एवं उदयम प्रोत्साहन केन्द्र, उ0प्र0।
4- समस्त उपायुक्त उदयोग, जिला उदयोग एवं उदयम प्रोत्साहन केन्द्र, उ0प्र0।
5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(पन्ना लाल)
संयुक्त सचिव।